फार्म नं.03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

विमला .... बनाम .... सुरेश कोरट .... प्रकरण सं. 19/2025

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम / जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
07.04.26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 व 2 अनुपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश प्रदान किये जाते है। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर मय हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा 7/4/26	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
119/2025	05.03.2025	07/5/2026

उनवान

1. श्री श्रीमती विमला पत्नी श्री राकेश मंत्री निवासी बी—238 महेश मार्ग, संजय कॉलोनी, भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

——प्रार्थीया

बनाम

1. सुरेश चन्द्र पुत्र श्री रामचन्द्र ब्राह्मण निवासी—रूपाहेली तहसील एवं जिला भीलवाडा।
2. महादेव पुत्र श्री बख्तावर जाट निवासी— रूपाहेली तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. कैलाश चन्द्र पुत्र श्री महादेव चौधरी निवासी 115 बंजारा बस्ती, हिरण मंगरी सेक्टर 05 मानवा खेड़ा, ग्रामीण, उदयपुर (राज०)। **(विलोपित)**
4. विमला पत्नी श्री अशोक कुमार पुरोहित निवासी— 3/7 जी अनुकिरण कॉलोनी, पोस्ट भाभानगर, रावतभाटा जिला चित्तौडढ। **(विलोपित)**
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)।

—— विपक्षीगण

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :—

उपस्थितः—

1. **अधिवक्ता प्रार्थिया श्री पृथ्वीराज चौधरी उपस्थित।**
2. **अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 02 उपस्थित नहीं**

—:: निर्णय ::—

निर्णय दिनांक 07/5/26

प्रार्थिया की ओर से अधिवक्ता श्री पृथ्वीराज चौधरी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेश किया गया। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रार्थिया अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रूपाहेली पटवार हल्का रूपाहेली, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 584 रकबा 0.0379 हैक्टेयर आराजी संख्या 585/1 रकबा 0.1391 हैक्टेयर कुल किता कुल रकबा 0.1770 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

उक्त कृषि भूमि प्रार्थिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण पडौसी खातेदारान है। प्रार्थिया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थिया अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती कराई जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहती है। प्रार्थिया उक्त वर्णित भूमि की खातेदार काश्तकार है।

अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के सम्मन अदम तामील प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 बाद सूचना उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के बाद सूचना उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थिया अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा. दि. पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के विरूद्ध कार्यवाही नहीं चाहने से नाम प्रार्थना पत्र से विलोपित किया गया।

प्रार्थिया अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थिया अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रार्थिया अपनी खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहती है। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। बहस का मनन एवं चिंतन किया गया तथा संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थिया के वादग्रस्त आराजियात की खातेदार काश्तकार होकर इन्हें अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार किया जाना उचित है, परन्तु प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के विरूद्ध कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध आदेश पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम रूपाहेली पटवार हल्का रूपाहेली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 584 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी संख्या 585/1 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.1770 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व अप्रार्थीगण को सम्यक रूप से सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही उभय पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाचिन्ह निशानात कायम करने की हद तक है। उक्त पत्थरगढ़ी की कार्यवाही प्रार्थिया की खातेदारी आराजी ग्राम रूपाहेली की आराजी नंबर 584 व 585/1 की अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की खातेदारी भूमि की दिशा तक की जावे। अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के विरूद्ध प्रार्थिया द्वारा कार्यवाही नहीं चाहने से अप्रार्थी संख्या 03 व 04 की खातेदारी भूमि की दिशा में पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो भू–प्रबन्ध बन्दोबस्त नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थिया से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/5/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा